

कार्यालय कलेक्टर धमतरी जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)
अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक 493 / वाचक / कलेक्टर / 2018

धमतरी, दिनांक 25/07/2018

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील नगरी जिला धमतरी के अंतर्गत
करेगांव-गढ़टासिल्ली-विरगुडी मार्ग चौड़ीकरण कार्य में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है।
अतः उक्त मार्ग चौड़ीकरण में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।



C.R. K. / 1.
कलेक्टर 25/7.
धमतरी